

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1979/2020, लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 23, 2020

-:: आदेश ::-

प्रभारी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-01 वाराणसी के पत्रांक-268/2020, दिनांक 11.12.2020 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-01 वाराणसी में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यालय में लम्बित एक सदस्यीय अपीलों के विरुद्ध अपीलो/दूषित अपीलों/विविध प्रा0पत्रों को निम्नवत पीठ-04 वाराणसी व 05 वाराणसी में नियमानुसार निस्तारण हेतु निम्न प्रकार अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	पीठ का नाम जहां से अपीलों का स्थानान्तरण किया जाना है	पीठ का नाम जिनको अपीलों का स्थानान्तरण किया गया है	अपीलों की सूची
1	सदस्य पीठ 01 वाराणसी	1-सदस्य पीठ 04 वाराणसी 2-सदस्य पीठ 05 वाराणसी	1-संलग्न सूची के अनुसार कम संख्या 01 से 52 तक 2-संलग्न सूची के अनुसार कम संख्या 53 से 152 तक

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

2023.12.2020

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1979/2020, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-01 वाराणसी।(मयसूची के)
- 2 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -04 वाराणसी, 05 वाराणसी को उपरोक्त अपीलों इस आशय से हस्तान्तरित कि उनका निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।(मयसूची के)
- 3 असि0 कमि0/रा0 प्रति0 1,4 व 05 वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।(मयसूची के)
- 4 वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय।(मयसूची के)
- 5 आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।(मयसूची के)
- 6-वेवअधिकारी मुख्यालय (मयसूची के)

आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।